16 जुलाई युवा जागृति परिषद की50वी वर्षगांठ पर पर्यावरण संरक्षण कासंकल्प।।

इंदौर। युवा जागृति परिषद 50वीं वर्षगांठ पर परिषद के वर्तमान एडवोकेटअध्यक्ष अजय गणेश चौधरी अपने सभी संस्थापक एवं पदाधिकारी और संरक्षक मार्गदर्शक सम्मानित सदस्यों के प्रति इंदौर के विकास में तथा मजदूर वर्ग एवं बस्ती और क्षेत्र के विशेषउत्थान गतिविधियों के साथ युवाओं को रचनात्मक कार्यों से जोड़ने की प्रेरणा हमको मुर्त रूप देने के लिए धन्यवाद दिया है। आपने कहा है 50वीं वर्ष गांठ के अवसर पर, पदाधिकारी ने संकल्प लियापरिषद के सदस्य नशा मुक्ति अभियान और पर्यावरण संरक्षण अभियान के लिए वर्षभर कार्य करने के साथ-साथ शहर के विकास में अपना योगदान प्रदान करेंगे।

भरत यादव (दादा) को जन्मदिन की बधाई!

इंदौर.. श्रीं भरत यादव (दादा) का 15 जुलाई को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई.यादव जी बड़े ही समाज सेवक है. वे सभी जरूरत मंद की मदद करते है और साथ ही बड़े धार्मिक प्रवर्ती के है वे नेहरू नगर रोड़ नंबर 9 इंदौर पर गणेश जी.नवदुर्गाजागरण माता जी. हनुमान जयंती पर भजन. पूजन. प्रसाद. भोजन भंडारा करवाते है. और सभी की मदद करते है. जो दूसरे के लिए उदाहरण है. ताकि हम भी दूसरे की मदद का मन रखे और समाज मे एक अच्छा संदेश जाए.वे श्री राम मोटर्स का कार्य करते है उनके जन्मदिन पर किसी ने शाल, साफा बंधा, भोले नाथ की फोटो, सुन्दर प्रिंट के चित्र भेंट किये और किसी ने उनके परिवार का सुन्दर फोटो भेंट की और सभी ने मिलकर भोजन किया, इस अवसर पर दिलीप राजपाल पूर्व मंत्री, राजकुमार अग्रवाल 1008 ज्योतिसी टेरों कार्ड विशेषज्ञ अब्दुल गफ्फार खान, सुखदेव खरबडीकर. दीपक तवर, मुरली राजपूत,जानकीलाल पटेरिया, बादशाह मिमरोट,कमलेश पटेरिया,विजय ढूंढले, अनिल अदमाने, संतोष बोके, चन्द्रप्रकाश गेलोद, अंकित, अंश यादव,निहाल,गट्टू,दीपिका यादव आकृति वर्मा, नव्या पटेरिया,दीपक पटेरिया, ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी यह जानकारी जानकीलाल पटेरिया ने दी.

राज्य एक नियोक्ता के रूप में भर्ती पद की योग्यता तय करने का अधिकार रखता है

यूजीसी या अन्य नियम उसे नहीं रोक सकते - हाइकोर्ट

इन्दौर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर में जस्टिस जय कुमार पिल्लई की एकलपीठ ने डॉ. राहुल पाटीदार बनाम मध्यप्रदेश शासन सहित अन्य याचिकाओं पर सुनवाई उपरांत दिए अपने अहम निर्णय में स्पष्ट किया कि यूजीसी और उसके नियम राज्य सरकार को अपनी सार्वजनिक सेवाओं के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता तय करने से नहीं रोक सकते। अदालत ने कहा किसी पद के लिए पात्रता निर्धारित करना पूरी तरह भर्ती नीति का विषय है और राज्य एक नियोक्ता के रूप में पद की प्रकृति एवं आवश्यकता के अनुसार योग्यता तय करने का अधिकार रखता है। हाई कोर्ट एडवोकेट वरुण रावल के अनुसार याचिका कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि याचिकाकर्ता ने मप्र लोकसेवा आयोग द्वारा निकाली गई असिस्टेंट प्रोफेसर (जूलॉजी) भर्ती में आवेदन किया था। उसके पास एमएससी (एग्रीकल्चर) एंटोमोलॉजी की डिग्री थी। उसका दावा था कि एंटोमोलॉजी, जूलॉजी का संबद्ध विषय है और यूजीसी के 2018 के नियमों के अनुसार उसे पात्र माना जाना चाहिए। हालांकि भर्ती विज्ञापन में स्पष्ट रूप से जूलॉजी में स्नातकोत्तर डिग्री को आवश्यक योग्यता बताया गया था। इसी आधार पर राज्य सरकार और चयन एजेंसी ने उसे अयोग्य घोषित कर दिया। जिस पर उसने कोर्ट की शरण ली और कोर्ट ने उक्त फैसला सुनाया।

मप्र सराफा एसोसिएशन का संभागीय अधिवेशन कल

इन्दौर मप्र सराफा एसोसिएशन व इंदौर संभागीय एसोसिएशन का संभाग स्तरीय अधिवेशन कल 18 जुलाई को धार में आयोजित किया जा रहा है जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष राजा भाई सराफ जबलपुर, विशिष्ट अतिथि प्रदेश संरक्षक झमक भरगट रतलाम, प्रदेश महासचिव देवीलाल सोनी आगर, कार्यकारी अध्यक्ष हुकुम सोनी इंदौर, उपाध्यक्ष निर्मल घुंघरू इंदौर, उपाध्यक्ष विश्वास सोनी थांदला के साथ धार, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी व बुरहानपुर के पदाधिकारी व व्यापारी शामिल होंगे। सचिन सोनी बेटमा के अनुसार अधिवेशन में शामिल व्यापारियों को सराफा व्यवसाय से संबंधित कानूनों के अनुरूप अपडेट करते हुए बताया जाएगा कि वर्तमान समय में चांदी एंव सोने के भावों में हो रही अप्रत्याशित तेजी मंदी व परिवर्तन के दौर में कैसे अपने मुनाफे व व्यापार को सुरक्षित रखा जाए। इस अवसर पर नव चयनित पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण भी कराया जाएगा।

कार्टुन कोना

न्यायालय-फीस वापस लौटाने के लिए अधिकृत विभाग के अधिकारीयों और कर्मचारीयों की लापरवाही :

पक्षकारों को न्यायालय फीस की धनराशि वापस प्राप्त करने के लिए इन्तजार करना पड़ रहा है.....

इन्दौर अभिभाषक संघ इन्दौर के 'पूर्व-अध्यक्ष' गोपाल कचोलिया अभिभाषक ने बताया है कि वर्ष -2025 में दिनांक 01/02/2025 को मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 'न्यायालय शुल्क वापसी हेतु मानक संचालन प्रक्रिया' Standard Operating Procedure (S.O.P.) मध्यप्रदेश के सभी विधिक सेवा प्राधिकरणों को एक पत्र के साथ प्रेषित की गई थी।इस नई प्रक्रिया से न्याय शुल्क वापसी की प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और शीघ्र हो गई है।अब पक्षकार / उसके अभिभाषक को किसी भी शासकीय कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। गौरतलब है कि पहले लोक अदालत में समझौता कर के अपने केस निराकृत करवाने वाले पक्षकारों को जिस न्यायालय में राजीनामा या केस वापसी होती थी,उस न्यायालय से न्यायालय फीस वापस प्राप्त करने के लिए एक प्रमाण पत्र प्राप्त कर पूर्व निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आवश्यक दस्तावेजों सहित एक आवेदन पत्र के साथ कलेक्टर कार्यालय में जाकर जमा करवाना पड़ता था। उसके बाद सम्बन्धित विभाग में अनेक बार चक्कर लगाने के बाद न्यायालय फीस की धनराशि वापस प्राप्त होती थी। लेकिन मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिनांक 01/02/2025 को जारी की गई 'न्यायालय शुल्क वापसी हेतु मानक संचालन प्रक्रिया ' स्ह्क्क के लागू होने के बाद पक्षकार उसके अभिभाषक को किसी शासकीय कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। पक्षकार / उसके अभिभाषक को केवल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में एक आवेदन-पत्र (न्यायालय से प्राप्त न्यायालय फीस वापसी के प्रमाण पत्र के साथ) प्रस्तुत करना पड़ता है। उसके बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा न्यायालय शुल्क वापसी के प्रमाण पत्र को एक कवरिंग लेटर के साथ कलेक्टर कार्यालय को प्रेषित किया जाता है।लेटर में एक महीने के भीतर प्रमाण पत्र में उल्लेखित बैंक खाते में न्यायालय शुल्क की धनराशि जमा करवाने का निर्देश लिखा होता है। कवरिंग लेटर की एक प्रति जिला पंजीयक को भी भेजी जाती है। कलेक्टर कार्यालय से आदेश प्राप्त होने पर जिला पंजीयक कार्यालय वेण्डर जारी करता है।वेण्डर के आधार पर जिला कोषालय द्वारा सम्बन्धित पक्षकार के बैंक खाते में धनराशि हस्तांतरित की जाती है।भुगतान की सूचना जिला पंजीयक द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजी जाती है। भुगतान की सूचना प्राप्त होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पक्षकार या उसके अभिभाषक से भुगतान प्राप्ति की स्वीकृति प्राप्त करता है। मध्यप्रदेश में इस नई प्रक्रिया के कारण पक्षकारों के समय और धन की बचत हो रही है ।

> लेकिन इन्दौर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय के माध्यम से न्यायालय फीस वापस प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र प्रेषित करने वाले पक्षकारों को न्यायालय फीस वापसी के लिए अधिकृत-विभाग के अधिकारी / कर्मचारियों की लापरवाही के कारण निर्धारित एक महीने की समय-अवधि में न्यायालय फीस की धनराशि वापस प्राप्त नही हो पा रही है। पक्षकारों को आवेदन करने के पांच - छह महीनों बाद भी न्यायालय फीस की धनराशि वापस प्राप्त नही हो पा रही है। गोपाल कचोलिया अभिभाषक द्वारा इस समस्या के सम्बन्ध में पूर्व में भी एक आवेदन-पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,इन्दौर के कार्यालय में दिया गया था लेकिन अभी तक समस्या का पूर्णतया समाधान नही हो पाया है।

खजराना के 100-बेड सिविल अस्पताल के शीघ्र निर्माण की मांग :आम आदमी पार्टी ने सौंपा ज्ञापन

आम आदमी पार्टी, इंदौर द्वारा आज खजराना में प्रस्तावित 100-बेड सिविल अस्पताल के शीघ्र निर्माण की मांग को लेकर प्रदेश के माननीय स्वास्थ्य मंत्री के नाम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ), इंदौर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया।

ज्ञापन में बताया गया कि वर्ष 2020 में स्वीकृत 100-बेड सिविल अस्पताल का उद्देश्य खजराना, मुसाखेड़ी, तेजाजी नगर, बिचोली हाप्सी एवं आसपास के तीन लाख से अधिक नागरिकों को बेहतर एवं सुलभ सरकारी स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना तथा एम.वाई. अस्पताल, एम.टी.एच. अस्पताल एवं जिला अस्पताल पर बढ़ते मरीजों के दबाव को कम करना था। किंतु लगभग छह वर्ष बीत जाने के बाद भी अस्पताल के लिए न भूमि उपलब्ध हो सकी और न ही निर्माण कार्य प्रारंभ हो पाया। परिणामस्वरूप क्षेत्र की लाखों जनता आज भी इस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुविधा से वंचित है।आम आदमी पार्टी ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि अस्पताल हेतु आवश्यक भूमि का तत्काल कब्ज़ा स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराया जाए, निर्माण कार्य बिना किसी और विलंब के प्रारंभ किया जाए, निर्माण की स्पष्ट समय-सीमा घोषित कर सार्वजनिक की जाए तथा परियोजना की नियमित समीक्षा कर जनता को प्रगति की जानकारी दी जाए।

पार्टी ने कहा कि खजराना और आसपास के क्षेत्रों की बढ़ती आबादी के लिए यह अस्पताल अत्यंत आवश्यक है। सरकार को जनहित को प्राथमिकता देते हुए शीघ्र निर्णय लेकर अस्पताल निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए, ताकि लाखों नागरिकों को बेहतर सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके।इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष कमल गुप्ता, प्रदेश संयुक्त सचिव कमलेश मालवीय, जिला अध्यक्ष डॉ. संदीप शर्मा, जिला संगठन मंत्री मोहम्मद अशफाक, जिला उपाध्यक्ष शाकिर हुसैन, जिला उपाध्यक्ष संजय जैन, जिला सचिव राकेश उपलावदिया, शिक्षा प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष सचिन सोनी, जिला संयुक्त सचिव अशोक ओझा, डॉ. दिनेश कुमार जोशी सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

जस्टिस अभ्यंकर का प्रशासनिक न्यायमूर्ति बनने पर किया स्वागत, अभिनन्दन,सम्मान

इन्दौर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर में जस्टिस सुबोध अभ्यंकर के प्रशासनिक न्यायमूर्ति नियुक्त होने पर इंदौर बार एसोसिएशन ने जिला कोर्ट के सभागार में सम्मान समारोह आयोजित कर उनका स्वागत सम्मान किया। समारोह में इंदौर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश पाल, सचिव धर्मेंद्र गुर्जर, निर्वाचन मंडल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विमल कुमार मिश्रा, मीडिया प्रभारी संजय मेहरा सहित अन्य पदाधिकारियों ने न्यायमूर्ति अभ्यंकर का स्मृति-चिह्न भेंट कर अभिनंदन किया। इस अवसर पर इंदौर बार एसोसिएशन द्वारा वर्ष 2026 के सफल एवं निष्पक्ष निर्वाचन के संपादन हेतु निर्वाचन मंडल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विमल कुमार मिश्रा तथा निर्वाचन अधिकारियों संजय मेहरा, प्रकाश गुप्ता, मोहनलाल बगोरा, गजराज सिंह सोलंकी एवं राघवेंद्र सिंह बेस, सदाशिव खंडारे, उमेश यादव का भी स्मृति-चिह्न एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मान किया गया।

16 जुलाई युवा जागृति परिषद की50वी वर्षगांठ पर पर्यावरण संरक्षण कासंकल्प

इंदौर। युवा जागृति परिषद 50वीं वर्षगांठ पर परिषद के वर्तमान एडवोकेटअध्यक्ष अजय गणेश चौधरी अपने सभी संस्थापक एवं पदाधिकारी और संरक्षक मार्गदर्शक सम्मानित सदस्यों के प्रति इंदौर के विकास में तथा मजदूर वर्ग एवं बस्ती और क्षेत्र के विशेषउत्थान गतिविधियों के साथ युवाओं को रचनात्मक कार्यों से जोड़ने की प्रेरणा हमको मुर्त रूप देने के लिए धन्यवाद दिया है। आपने कहा है 50वीं वर्ष गांठ के अवसर पर, पदाधिकारी ने संकल्प लियापरिषद के सदस्य नशा मुक्ति अभियान और पर्यावरण संरक्षण अभियान के लिए वर्षभर कार्य करने के साथ-साथ शहर के विकास में अपना योगदान प्रदान करेंगे।

भूले-बिसरे गीतों की महफिल आज

इन्दौर श्री मध्यभारत हिंदी साहित्य समिति सभागार में आज 17 जुलाई को शाम 5.30 से संगीत संध्या भूले-बिसरे गीतों की महफिल का आयोजन सोनी म्यूजिकल ग्रुप द्वारा किया जा रहा है।

कार्यक्रम में इंदौर के साथ ही म.प्र के विभिन्न शहरों गायक कलाकारों द्वारा गीतों की प्रस्तुतियां दी जाएगी । कार्यक्रम सभी संगीत प्रेमियों के लिए निशुल्क खुला है।

पद्मावती वेंकटेश देवस्थान से रथ यात्रा निकली

इंदौर श्री पद्मावती वेंकटेश देवस्थान विद्या पैलेस कॉलोनी एयरोडम रोड पर आज अषाढ शुक्ल दूज को जगन्नाथ पुरी में निकलने वाली रथ यात्रा के तर्ज पर भगवान श्री वेंकटेश बालाजी की रथ यात्रा मंदिर परिसर में निकाली गई परम पूज्य स्वामी श्री केशवाचार्य जी महाराज बालक स्वामी जी की पावन प्रेरणा से निकाली गई इस रथ यात्रा में अयोध्या से पधारे संत श्री अन्नताचार्य जी भी शामिल हुए।

मंदिर समिति के मनोहर सोनी भगवानदास हेड़ा एवं नितिन तापड़िया ने बताया कि आज सुबह पुरुष सूक्त, आलविंदार स्तोत्र पाठ श्री सूक्त आदि के द्वारा भगवान का अभिषेक हुआ एवं चल विग्रह का श्रृंगार करके उन्हें श्रृंगारित रथ पर भगवान वेंकटेश बालाजी के साथ भू देवी एवं श्रीदेवी को विराजित किया गया श्रद्धालुओं ने हरिकिशन साबू भोपू जी के भजनों पर रथ को अपने हाथों से खींचा रथ से मंदिर परिसर में तीन परिक्रमा पूरी की इस दौरान स्कूल के बच्चे भी इसमें शामिल हुए भजन गायक राम हुरकट ने भी अपने भजनों की प्रस्तुति दी इस अवसर पर गिरीश कश्यप कैलाश जोशी लाला साबू सरलाहेड़ा पदमा सोनी सहित सैकड़ो श्रद्धालु मौजूद थे।

संविदा कर्मचारियों को नियमित करने और आउटसोर्स कर्मियों को 50% आरक्षण देने की मांग

मध्यप्रदेश विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन के महामंत्री राकेश डीपी पाठक ने बिजली कंपनियों में लंबे समय बाद सभी श्रेणियों के कर्मचारियों और अधिकारियों को पदोन्नति का लाभ देने के राज्य सरकार के निर्णय की सराहना की है। इसके लिए फेडरेशन ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्नसिंह तोमर, अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा नीरज मण्लोई, ऊर्जा सचिव विशेष गढ़पाले और सभी एमडी गणों का आभार व्यक्त किया है। इसके साथ ही उन्होंने पिछले 15 वर्षों से कार्यरत संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के सुरक्षित भविष्य के लिए न्यायोचित कदम उठाने की मांग की है।महामंत्री राकेश डीपी पाठक ने निम्नलिखित मुख्य मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है:

- संविदा कर्मियों का बिना परीक्षा नियमितीकरण: शासन द्वारा बिजली कंपनियों में नवीन स्वीकृतियों के तहत 51,000 नियमित पदों का सृजन किया गया है। अतः विगत 15 वर्षों से कार्यरत संविदा कर्मचारियों को बिना किसी शर्त या परीक्षा के, उनके लंबे अनुभव के आधार पर तत्काल नियमित (संविलियन) किया जाना चाहिए।
- 2013 के 'परीक्षण सहायकों' को न्याय: वर्ष 2013 में 1339 पदों पर नियमित परीक्षण सहायक भर्ती की प्रतीक्षा सूची से मध्य क्षेत्र कंपनी में संविदा पर रखे गए लगभग 650 कर्मचारी बीते 12 वर्षों से नियमित होने का इंतजार कर रहे हैं। इन्हें शीघ्र नियमित किया जाना चाहिए।
- वन-टाइम ट्रांसफर पॉलिसी: तीनों विद्युत वितरण कंपनियों (पूर्व, मध्य और पश्चिम क्षेत्र) के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के लगभग एक हजार संविदा और नियमित कर्मचारियों के लिए 'कंपनी टू कंपनी' (गृह जिला कंपनी) पारदर्शी 'वन टाइम ट्रांसफर पॉलिसी' बनाई जाए।

सांदीपनि महाराजा शिवाजी राव स्कूल में गुरु पूर्णिमा पखवाड़े का शुभारंभ

इंदौर। गुरु पूर्णिमा पखवाड़े का शुभारंभ आज सांदीपनि महाराजा शिवाजी राव हायर सेकेंडरी स्कूल में हुआ। यह पखवाड़ा 15 से 29 जुलाई तक चलेगा।कार्यक्रम में विद्यालय के पूर्व व्याख्याता और सेवानिवृत्त बीईओ इंदौर विकासखंड श्री मनोज खोपकर तथा स्स्ष्ट की सदस्य श्रीमती माला विशेष रूप से उपस्थित रहीं।मनोज खोपकर ने कहा कि आपका विद्यालय ऐतिहासिक है' जो गुरु से परिचय कराती है। प्राचार्य श्रीमती हर्षा पंडित ने भी छात्रों को गुरु महिमा के बारे में बताया और कहा कि अनुशासन में रहकर ही उत्तम नागरिक बना जा सकता है।कार्यक्रम का संचालन श्रीमती प्रेरणा केलवा ने किया। इस अवसर पर विद्यालय के उप प्राचार्य श्री सुधांशु वर्मा, समस्त स्टाफ और बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित रहे।

आचार्य रामचंद्र शर्मा 'वैदिक' के शिष्य सनातन परंपरा से मनाएंगे गुरुपूर्णिमा

इंदौर,। मध्यप्रदेश ज्योतिष एवम् एवम् विद्वत परिषद तथा भारद्वाज ज्योतिष एवम आध्यात्मिक शोध संस्थान द्वारा व्यास पूर्णिमा का पर्व 29जुलाई बुधवार को प्रातः परिषद मुख्यालय पर.वैदिक विधि विधान से सनातन परंपरा अनुसार मनाया जायेगा।

परिषद के प्रदेश अध्यक्ष ज्योतिष एवम् धर्मगुरु आचार्य पंडित रामचंद्र वैदिक के शिष्य गुरु पूर्णिमा का पर्व गुरु पाद पूजन के साथ मनाएंगे । परिषद के प्रचार प्रमुख आशुतोष ठक्कर ने बताया की गुरुपर्व पर भगवान वेद व्यास,आदि शंकराचार्य एवम जगदगुरू श्रृंगेरी शंकराचार्य श्री श्री भारती तीर्थ महास्वमीजी एवम जगदगुरू शंकराचार्य श्री विदुशेखर भारती जी के चित्र के पूजनविधि से गुरुपर्व का श्रीगणेश होगा। ग्यारह वैदिक विद्वान शुक्ल यजुर्वेद सहिता का पारायण करेंगे। *सनातन धर्म में व्यास पूर्णिमा का महत्व एवम श्रृंगेरी की अविछिन्न आचार्य परंपरा पर आचार्य शर्मा वैदिक तथा सोमेंद्र शर्मा सहित विद्वान आचार्य अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। कार्यक्रम प्रातः परिषद मुख्यालय पर आयोजित होगा।